संख्या:70/2024/231/35-4-2024/35-4099/16/2023

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मथुरा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 21 फरवरी, 2024

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत राजकीय आई0टी0आई0 की लागत पुनरीक्षित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद-मथुरा में राजकीय आई0टी0आई0, वि0स0 क्षेत्र-बलदेव के ग्राम सैदपुर (कासिमपुर), मथुरा के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत शासनादेश सं0-37/2020/508/35-4-2020 दिनांक 28 मार्च, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए कार्य की अनुमोदित लागत रू0 1163.99 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 465.60 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0-148/2021/1424/35-4-2021 दिनांक 23 सितम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 116.40 लाख, शासनादेश सं0-102/2022/274/35-4-2022 दिनांक 28 मार्च, 2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 291.00 लाख तथा शासनादेश सं0-121/2023/85/35-4-2023/001-35-4099/48/2022 दिनांक 22 फरवरी, 2023 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 232.80 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेशों द्वारा कुल रू0 1105.80 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई। जिलाधिकारी, मथुरा के पत्र संख्या 2352/सीडी-1/पीडब्लूडी/मथुरा दिनांक 10 नवम्बर, 2023 द्वारा की गई संस्तुति पर मिट्टी भराई के अतिरिक्त कार्य की लागत रू0 52.11 लाख को सम्मिलित करते हुए परियोजना को रू. 1216.10 लाख (रूपये बारह करोड़ सोलह लाख दस हजार मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2021, दिनांक 28 मार्च, 2022 तथा 22 फरवरी, 2023 की शर्तें यथावत रहेगी। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
2- कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
3- जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्थान को उपलब्ध कराई जायेगी।
4- पुनरीक्षित आगणन में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- परियोजना का निर्माण निर्धारित समयावधि में पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का कोई और पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

2- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या- संख्या-ई0-5-218-x-2023-2024, दिनॉक 20 फरवरी, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:70/2024/231(1)/35-4-2024/35-4099/16/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास/लोक निर्माण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल।
8- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा।
11- मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मथुरा।
14- संबंधित अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मथुरा।
15- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।